

①

मध्यप्रदेश बेड़िया, बाछडा सजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत  
आवेदन - पत्र

प्रति,

कलेक्टर,

आदिम जाति कल्याण विभाग

जिला सागर

विषय :- बेड़िया/बाछडा जातियों से अंतर्गत सजातीय विवाह योजना अंतर्गत आवेदन पत्र

श्रीमान्,

निम्नलिखित आवेदक-दंपति द्वारा सजातीय विवाह किया गया है, एवं शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ लेना चाहता है, विवरण निम्नानुसार है,

अ- पति

1. आवेदक का नाम
2. जन्म तिथि
3. माता/पिता का नाम
4. पता (विवाह पूर्व/विवाह उपरान्त)
5. जाति
6. विवाह कब किया गया  
(विवाह करने के समय आयु)
7. वर्तमान में कहीं रहते हैं
8. वर्तमान आय के साधन धंधा रोजगार
9. विवाही की तिथि

## ब- पत्नि

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. ~~ग्राम~~/पिता का नाम
4. पता (विवाह पूर्व/विवाह उपरान्त)
5. जाति
6. विवाह कब किया गया  
(विवाह करने के समय आयु)
7. क्या पूर्व में परंपरागत व्यवसाय करती थी,
8. यदि हाँ, तो कहीं
9. क्या विवाह उपरान्त यह धंधा अब नहीं करेगी
10. वर्तमान में कहीं रहते हैं
11. वर्तमान आय के साधन धंधा रोजगार
12. विवाह की तिथि
13. क्या आप विवाहित जीवन में संतोष हैं.

### घोषणा पत्र

हम पति-पत्नि ने अपनी जाति की महिलाओं में व्याप्त, परम्परागत वेश्यावृत्ति की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से सजातीय विवाह किया है।

हम सहर्ष घोषणा करते हैं, कि हमने जिन आदर्शों से प्रेरित होकर यह सजातीय विवाह किया है, उनका जीवन पर्यन्त पालन करेंगे एवं भविष्य में होने वाली संतानों को भी इस कुप्रथा से दूर रखेंगे।

पत्नि

पति

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पूरा नाम श्री

पूरा नाम

दिनांक

दिनांक

वर्तमान पता

.....

.....

.....